फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

अभयसिंह वगैरा बनाम सवाईसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 नं 42/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.02.21	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नरपत पूनड द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कसुम्बला महेचान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 19 हस्तक्षेप, बाधा कारित करने व भूमि का हस्तान्तरण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 17.3.21 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण विवादित आराजी मौजा कसुम्बला महेचान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के मूल खेत खसरा नम्बर 76, 77, 78 रकबा क्रमशः 98.08, 246.00, 118.00 बीघा (विभक्त खसरा नम्बर 169/76, 76, 173/76, 189/76, 170/77, 77, 174/77, 171/78, 78, 175/78 रकबा क्रमशः 32.16, 32.16, 32.16, 11.14, 82.00, 82.00, 82.00, 39.07, 39.06, 39.07 बीघा) मे विप्रार्थीगण संख्या 1 से 19 किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन व बाधा कारित नही करे। न ही भूमि का बेचान या हस्तान्तरण करें। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहें। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल [illegible] ब दिनांक 17.3.21 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

रा० आवे० सं. 42/21 मनभान - समयसिंह ब/ख सवाईसिंह

17/03/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील करा तामील प्रयुक्त। विपक्षी संख्या-22 की कोर्ट से वकील श्री धर्मनारायण सारण द्वारा पैरवी की गई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तकाल होकर आगामी दिनांक 27/04/21 को पेश हो।

हुक्म
रा० आवे०
/09/21

27/04/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अत: पत्रावली इन्तकाल होकर दिनांक 25/05/21 को पेश हो।

25/05/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अत: पत्रावली इन्तकाल होकर दिनांक 05/07/21 को पेश हो।

05/07/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अत: पत्रावली इन्तकाल होकर दिनांक 25/08/21 को पेश हो।

25/08/21 पत्रावली पेश हुई।
वकुलाय फरीकेन उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी अवकाश में है।
अत: पत्रावली इन्तकाल होकर
दिनांक 19/11/21 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० आ०सं: 42/21 उनवान- अमरसिंह vs मक्खनसिंह, कोटा	
28/09/21	विपक्षी संख्या -1 से 19, 22, 23 व 24 के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब करने बाबत अर्ज प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई, विपक्षी वकील द्वारा प्रार्थना- पत्र आदेश-7 नियम-11 CPC व विपक्षी संख्या-1 से 19, 22, 23 व 24 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। हस्ब; पत्रावली आदेश-7 नियम-11 CPC के जवाब व मूल आवेदन पर बहस हेतु दिनांक-01/10/21 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। पुनः विपक्षी वकील द्वारा दस्तावेजों की प्रति पेश की गई जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। हस्ब पत्रावली [illegible] दिनांक-01/10/2021 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म ... रा० मा० वो० सं० 42/21 ... जवाब ... 24 ...

रा० मा० वो० सं० - 42/21 मिनजानिब - ममयासिंह v/s सवाईसिंह वगैरा

01/10/2021

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या - 1 से 19, 22, 23 व 24 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया की प्रार्थीगण नगसिंह का परिवार है जो अकेला परिवार एकतरफा है व बाकी विप्रार्थीगण सभी एकतरफा है जो मिलकर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है जहां पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। वक्त जागीरदारी प्रार्थी व विप्रार्थीगण संयुक्त रूप से खुदकाश्त थे। प्रार्थी का गिरदावरी में नाम है वक्त सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट की भूल से प्रार्थीगण का नाम वंचित रह गया। सेटलमेन्ट भूल को प्रार्थी द्वारा चेलेन्ज किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम-7 सपठित धारा 151 CPC मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत व प्रार्थना-पत्र वास्ते बहस हेतु अवसर देने बाबत का प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति विप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की उक्त प्रार्थना-पत्र में मौका रिपोर्ट मंगवाना आवश्यक है जिससे न्यायालय के सामने स्थिति स्पष्ट हो सके। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा रुलिंग रेवन्यू बोर्ड अजमेर-2020 (1) RRT-24, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बैंच-2016 (2) RRT-1360, राजस्थान हाई कोर्ट-2013 (1) RRT-684 रेवन्यू बोर्ड राजस्थान अजमेर [illegible] राजस्थान हाई कोर्ट-2013 (1) RRT [illegible] जिसे शामिल पत्रावल किया [illegible] अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12/02/2021 को तामीलमला बाद इनकार्म किया जावे।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० आवे० सं. 42/21 उनवान- अभयसिंह V/s सणईसिंह कोत	
	जबकि विपक्षीगण संख्या- 1 से 19, 22, 23 व 24 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की विपक्षीगणों को भूमि ACEM के निर्णय से प्राप्त हुई है सेटलमेन्ट ने भूमि को बिला लगानी दर्ज किया गया जिसकी आपति ASO को पेश की गई जिसका निर्णय विपक्षीगणों के पक्ष में होने से भूमि प्राप्त हुई। उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो विपक्षीगणों द्वारा एक अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक- 22/09/21 को किया गया जिसमें वादीगण/प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं होना माना गया। प्रार्थी न तो उक्त भूमि के सह खातेदार है न ही उक्त भूमि से कोई सरोकार है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा हटाया जाना न्यायोचित है। यदि वादी/प्रार्थी की कोई आपति थी तो ASO के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करते जिस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई किसी प्रकार की आपति दर्ज नहीं की गई उक्त भूमि जब विपक्षीगणों को निर्णय से प्राप्त हुई तब वादी अभयसिंह का जन्म ही नहीं हुआ था। समान प्रकृति के एक वाद का निर्णय RAA द्वारा मेरिट पर किया जा चुका है तो समान प्रकृति का [illegible] योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त वाद व आवेदन को खारिज [illegible]	
	अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली व पत्रावली के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रा० आवे० सं० – 42/21 अनवान – अभयसिंह प/ सगाईसिंह
	संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत को खारिज किया जाता है कि साक्ष्य सबूत जुटाने के लिए मौका रिपोर्ट मंगवाना आवश्यक नहीं है। तथा उक्त विवादित भूमि विप्रार्थीगणों को ACEM के निर्णय से प्राप्त हुई है सैटलमेन्ट में भूमि बिला लगानी दर्ज किया गया था। इसलिए उक्त भूमि कहीं से भी वादीगण व प्रतिवादीगणों की पैतृक नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या-1 से 19, 22, 23 क्रय की स्वअर्जित भूमि होने से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12/02/2021 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:05 IST
Reason: SelfAttested